न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 258/2019 (166/2017)

GCMS NO. : 2017/00008

–: वादीगण :–

1. पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम फौत के कायम मुकाम

   1/1. कैलाश पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल, निवासी निम्बेडा खुर्द हाल निमाज, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

2. सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम जाति मेघवाल निवासी निम्बेडा खुर्द हाल बर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. हनुमान पुत्र बचनाराम उर्फ किशनाराम
2. गोविन्द पुत्र हापुराम जातियान मेघवाल, निवासी निम्बेडा खुर्द हाल बर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. भुण्डाराम पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी भैसाणा, तहसील सोजत सिटी जिला पाली।
4. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.24/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02

–:: निर्णय ::– **दिनॉंकः– 25/01/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बेडा खुर्द, पटवार हल्का टूंकडा, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 45 रकबा 6–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 271 रकबा 9–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादीया के पिता किशना उर्फ बचना थे। जिनका देहान्त आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीया का अपने बाप दादा के वक्त से लेकर आज दिन तक लगातार एवं शांतिपूर्वक बिना रोकटोक के चला आ रहा है। वंश वंशावली अनुसार बचनाराम उर्फ किशनाराम के पांच पुत्र व पुत्रीयां हनुमान, मांगीलाल, हापुराम, पानीदेवी, सुगनादेवी है तथा पत्नी का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार प्रत्येक पुत्र पुत्रीयों का 1/5 हिस्सा आता है। परन्तु 1 पुत्र मांगीलाल पुत्र बचना उर्फ किशनाराम नाऔलाद फौत हो जाने से प्रत्येक पुत्र पुत्रीयों को 1/4 हिस्सा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

आता है। प्रतिवादी संख्या 02 गाविन्द ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 भूण्डाराम को बेचान कर दिया इसलिए केवल मात्र मांगीलाल के हिस्से की भूमि में ही प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा आता है इसलिए उसे इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। वादिया अनपढ़ है तथा उन्हे कानून की जानकारी नहीं है इस कारण वादिया के पिता का देहान्त हुआ तब उनका फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया तब राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम दर्ज होने से रह गया इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम इन्द्राज फरमाकर उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। वादिया ने अपने खेत में बाजरी व मूंग की फसल बो रखी है तथा वह अपने खेत में फसलों की देखभाल करने दिनांक 10.08.2017 को गयी तो प्रतिवादीगण ने वादिया को ऐलानिया धमकी दी की वह यहां से चली जाए उनका इस खेत में कोई हक–हिस्सा व अधिकार नहीं है। वादिया को प्रतिवादीगण खेत में निदाण नहीं करने देंगे तथा फसलें नहीं काटने देंगे तथा प्रतिवादीगण ने यह ऐलानिया धमकी दी कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है तथा वे इस जमीन को किसी अजनबी क्रेता को बेचकर ही रहेंगे। तब वादिया ने दिनाँक 17.08.2017 को पटवारी पटवार हल्का टूंकडा से जमाबन्दी की नकलें प्राप्त की तो पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नहीं है। तब वादिया ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी है जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है अतः वाद पेश करने की अनुमति बाबत् प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. वाद के साथ प्रस्तुत है। बिनाय दावा दिनाँक 10.08.2017 को पैदा हुआ जब वादिया ने प्रतिवादीगण उनके खुद के खेत में निदाण नहीं करने एवं फसल नहीं काटने हेतु वादिया को धमकी दी तथा दिनाँक 17.08.2017 को पटवारी पटवार हल्का टूंकडा से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल ली व वादिया अपना नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नहीं होना पाया, जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद सम्मन सूचना/ईतला न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गाविन्द प्रजापत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 2 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादिया सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम ने स्वयं का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 एवं अन्य गवाह कुनाराम पुत्र शिवदान, पपूराम पुत्र मंगलाराम, पारसमल पुत्र देवाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र क्रमशः P/W 02, P/W 03, P/W 04 प्रस्तुत किया, दस्तावेजात प्रदर्श करवाए।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम निम्बेडा खुर्द की जमाबन्दी संवत् 2018-2020, संवत् 2021-2024, संवत् 2025-2027, संवत् 2029-2032 के खसरा नम्बर 45 एवं 2071 के लिए अंकित प्रविष्टियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में किसना पुत्र भाना कौम मेघवंशी खातेदार काश्तकार दर्ज थे। तत्पश्चात जमाबंदी संवत् 2029-2032 में अंकित नामान्तरकरण संख्या 186 के नोट एवं नामान्तरकरण पंजिका (प्रदर्श-2) अनुसार हनुमान, मांगीया, हापुडा पि0 किसना उर्फ बचना का नाम दर्ज किया गया जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी संवत् 2033-2036, संवत् 2037-2040, संवत् 2042-2045, संवत् 2046-2049, संवत् 2050-2053, संवत् 2054-2057, संवत् 2058-2061, संवत् 2062-2065, संवत् 2066-2069 में भी पाई गई। जमाबंदी संवत् 2066-2069 में अंकित नामान्तरकरण के नोट संख्या 625 से विरासत से हापूडा के स्थान पर गोविन्दप्रकाश पुत्र हापुडा दर्ज किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 714 से जरिये बेचान खसरा संख्या 45 के लिए गोविन्द प्रकाश पुत्र हापुडा के स्थान पर भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम दर्ज किया गया। तत्पशचान जमाबंदी संवत् 2074-2077 में अंकित शुद्धिपत्र संख्या 1 के नोट अनुसार खसरा संख्या 271 में भूण्डाराम पुत्र गुलाराम के स्थान पर गोविन्दप्रकाश पुत्र हापूडा दर्ज किया गया। अतः इस प्रकार जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तेनी आराजी है एवं जरिए फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 03/03/1976 के हनुमान, मांगीया, हापुडा पि0 किशना उर्फ बचना को प्राप्त हुई। नवीनतम जमाबंदी के खसरा संख्या 45 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में **हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम** की प्रविष्टि दर्ज है एवं खसरा संख्या 271 रकबा 1.5054 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में **गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम** की प्रविष्टि दर्ज है।

2. वादिया सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि "मुझ वादिया के पिता का देहान्त हुआ तब उनका फौतेदगी म्युटेशन भरा गया तब राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया।" अन्य गवाह में कुनाराम पुत्र शिवदान, निवासी देवलीकलां, तहसील रायपुर ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 02 में सशपथ कथन किये कि "मैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जानता हुँ।

उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार वादिया के पिता किशना उर्फ बचना थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने लगे। बचना उर्फ किशना की वंश वृक्षावली वादपत्र में अंकित की गई है, जो सही है। बचना उर्फ किशना का फौतेदगी म्युटेशन भरते वक्त उनकी पुत्रियों का नाम दर्ज होने से रह गया था।'' अन्य गवाह में पपूराम पुत्र मंगलाराम निवासी विजयगढ़ पंचायत टूंकडा, तहसील जैतारण ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 03 में सशपथ कथन किये कि ''मेरा गांव टूंकडा पंचायत में निम्बेड़ा खुर्द के पास ही स्थित है। मैं वादिया के परिवार से अच्छी तरह परिचित हुँ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की भूल व गलती से बचना उर्फ किशनाराम का फौतेदगी म्युटेशन भरते वक्त उनकी पुत्रियों का नाम दर्ज होने से रह गया था।'' अन्य गवाह में पारसमल पुत्र देवाराम निवासी बागीयाड़ा, तहसील रायपुर ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 04 में सशपथ कथन किये कि ''मैं वादिया के परिवार से अच्छी तरह परिचित हुँ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की भूल व गलती से बचना उर्फ किशनाराम का फौतेदगी म्युटेशन भरते वक्त उनकी पुत्रियों का नाम दर्ज होने से रह गया था।''

3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श-1 (कार्यालय ग्राम पंचायत टूंकडा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र), प्रदर्श-4ए (पानकी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम का मृत्यु प्रमाण-पत्र), प्रदर्श-5ए (सुगना देवी पुत्री बचना राम का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन काड) एवं प्रदर्श-6ए (सुगना देवी पुत्री बचनाराम का जन्म प्रमाण-पत्र) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादिया पानीदेवी एवं सुगनादेवी के पिता का नाम बचनाराम उर्फ किशनाराम है। वादिया पानीदेवी के मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं सुगना देवी के जन्म प्रमाण-पत्र अनुसार वादिया की माता का नाम दाखु देवी है जिससे स्पष्ट होता है कि वादिया सगी बहनें है। एवं वादपत्र में अंकित कथन अनुसार वादिया की माता का देहान्त हो चुका है।

4. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6-सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन की उपधारा 1 में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है-

   1. हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा हिन्दू परिवार में सहदायिका की पुत्री

      (क) पुत्र की तरह उसी रीति में जन्म से उसके अपने अधिकार में सहदायिक होगी

      (ख) सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार रखेगी जैसा वह पुत्र होती तो रखती

      (ग) उक्त सहदायिकी सम्पत्ति के संबंध में पुत्र के दायित्व के समान उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन होगी।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

और किसी हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक के किसी संदर्भ में सहदायिक की पुत्री का संदर्भ सम्मिलित होना समझा जाएगाः परन्तु इस उप–धारा में प्रयुक्त कोई बात किसी विभाजन या सम्पत्ति के वसीयती व्ययन को, जो 20.12.2004 से पहले हो चुका था, सम्मिलित करते हुए किसी व्ययन या अन्य संक्रामण का अविधिमान्य नहीं करेगी।

5. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में निम्न कानूनी प्रावधान है–

धारा 8–पुरूष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम– निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष का सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी–

(क) प्रथमतः उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैः पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा, (पूर्वमृत पुत्री की पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र की पूर्वमृत पुत्री की पुत्री)

इस प्रकार वादीगण के साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श दस्तावेजात एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि उक्त वाद पत्र में वादीगण यह सिद्ध करने में सफल हुए है कि वे बचनाराम उर्फ किशनाराम एवं दाखु देवी की पुत्रीयाँ है एवं बचनाराम उर्फ किशनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 03/03/1976 केवल पुत्रों के लिए भरा गया, वादीगण जो कि बचनाराम उर्फ किशनाराम के प्रथम क्षेणी के विधिक वारिसान होना साबित होता है, को फौतेदगी नामान्तकरण में शामिल नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 45 रकबा 6–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 271 रकबा 9–06 बीघा किस्म बारानी दोयम ग्राम निम्बेड़ाखुर्द के भू–अभिलेख में किशना पुत्र भाना के फौतेदगी नामान्तरकरण से दर्ज प्रविष्टि हनुमान, मांगीया, हापुड़ा पी0 किशना उर्फ बचना के साथ–साथ इनके उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम को भी शामिल करते हुए दर्ज किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 45 के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना, पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ**

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

किशनाराम पत्नी घासीराम एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम' दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं खसरा नम्बर 271के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम, पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम'** दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का टूंकडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 45 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम'** अंकित है वहाँ उसके साथ किशना पुत्र भाना के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण के नाम को शामिल करते हुए निम्न प्रविष्टि **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना, पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम'** को दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 271 रकबा 1.5054 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम'** अंकित है वहाँ उसके साथ किशना पुत्र भाना के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण के नाम को शामिल करते हुए निम्न प्रविष्टि **'गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम, पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम'** को दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 25/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–

1. पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. कैलाश पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल, निवासी निम्बेडा खुर्द हाल निमाज, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम जाति मेघवाल निवासी निम्बेडा खुर्द हाल बर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. हनुमान पुत्र बचनाराम उर्फ किशनाराम
2. गोविन्द पुत्र हापुराम जातियान मेघवाल, निवासी निम्बेडा खुर्द हाल बर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. भुण्डाराम पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी भैसाणा, तहसील सोजत सिटी जिला पाली।
4. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

मु0न0 :रा0वा0स0– 258/2019 (166/2017)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का टूंकडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 45 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख** में जहाँ–जहाँ **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम'** अंकित है वहाँ उसके साथ किशना पुत्र भाना के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण के नाम को शामिल करते हुए निम्न प्रविष्टि **'हनुमान, मांगीया पि0 किसना उर्फ बचना, पानीदेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम एवं भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम'** को दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 271 रकबा 1.5054 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख** में जहाँ–जहाँ **'गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम'** अंकित है वहाँ उसके साथ किशना पुत्र भाना के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण के नाम को शामिल करते हुए निम्न प्रविष्टि **गोविन्दराम पुत्र हापुराम, प्रकाश पुत्र हापुराम, पानीदेवी पुत्री**

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी चौथाराम, सुगनादेवी पुत्री बचनाराम उर्फ किशनाराम पत्नी घासीराम' को दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **25/01/2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	2.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	6.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	15.00		मिजानः–	1.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।